

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है—

गैर वन/निजी भूमि (रकबा हे. में)	आरक्षित वन (रकबा हे. में)	संरक्षित वन (रकबा हे. में)	राजस्व वन (रकबा हे. में)	कुल वनभूमि (रकबा हे. में)
32.284	6.959	9.963	0.407	17.329

आवेदित वनभूमि में समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टीकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्तावित कार्य हेतु वनक्षेत्र का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं।

इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।



हस्ताक्षर

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्बंधित प्रमाण पत्र

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 17.329 हे. वन भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं ।

हस्ताक्षर

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वृक्षों का विदोहन सम्बंधित प्रमाण पत्र

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 17.329 हे. वन भूमि पर किसी भी खड़े वृक्षों का विदोहन नहीं किया जाना है क्योंकि केबल हेतु 0.50 मीटर की चौड़ाई में 1.65 मीटर की गहराई में भूमि गत बिछाया जाना है ।



हस्ताक्षर

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्य आरम्भ नहीं किये जाने सम्बंधित प्रमाण पत्र

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत अंतर्गत रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 17.329 हे. वन भूमि पर 0.50 मीटर की चौड़ाई में 1.65 मीटर की गहराई में भूमि गत बिछाया जाना है।

उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर



अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

अन्य निर्धारित शर्त सम्बंधित प्रमाण पत्र

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत अंतर्गत रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में अन्तिम अनुमति में प्रतिरोपित बातों के अलावा यदि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई अन्य शर्त भविष्य में निर्धारित करता है तो कम्पनी उसे मानने के लिए बाध्य होगी।



हस्ताक्षर

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़